# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

अमर उजाला –दि0 10.04.2026

## वीडीए की एकमुश्त समाधान योजना हुई लागू, दंड ब्याज से मिलेगी छूट

**वाराणसी।** वीडीए की ओर से आवासीय, व्यावसायिक और समस्त प्रकार की संस्थागत संपत्तियों के आवंटियों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू की गई है।

योजना के माध्यम से बकाया देय के निस्तारण के साथ-साथ आवंटियों को दंड ब्याज से मुक्ति का अवसर मिलेगा। योजना का लाभ आवासीय, व्यावसायिक और सभी संस्थागत संपत्तियों के सभी आवंटियों को मिलेगा। योजना के तहत दंड ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) माफ किया जाएगा। आवंटियों को केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। जो आवंटी योजना शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान करेंगे। उन्हें देय राशि पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त विशेष छूट दी जाएगी। भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस्तों की व्यवस्था भी की गई है। 50 लाख तक की बकाया राशि का भुगतान 3 मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। जबकि 50 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान 3 द्विमासिक किस्तों में स्वीकार किया जाएगा। यह योजना 3 महीने के लिए लागू रहेगी।

योजना शुरू होने की तिथि 18 अप्रैल है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष योजना का लाभ उठाकर बकाये का समयबद्ध निस्तारण कराएं। दंड ब्याज से राहत प्राप्त करें। वीडीए कार्यालय के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9616536355 / 9580956031 पर भी फोन कर जानकारी ले सकते हैं। ब्यूरो